NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Millennium Post, Delhi, 06/08/2026

Page No: 14, Size: 20.03cm × 10.08cm

NHRC's online short-term internship course

OUR CORRESPONDENT

The two-week Online Short-Term Internship Programme (OSTI) organised by the National Human Rights Commission (NHRC), India for university-level students started at Manav Adhikar Bhawan, New Delhi recently. 100 students from diverse academic backgrounds, selected from 2,036 applicants, are participating in the programme.

NHRC Chairperson, Justice V Ramasubramanian inaugurated the programme in the presence of Member, Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi; Secretary General, Piyush Goyal; Joint Secretaries, Samir Kumar, Saidingpuii Chhakchhuak and Director Satovisha Samajdar.

100 UNIVERSITY-LEVEL STUDENTS FROM DIVERSE ACADEMIC BACKGROUNDS SHORTLISTED OUT OF 2,036 APPLICANTS

The programme will feature around 30 lectures on important human rights topics and involve 20 eminent guest speakers, including senior government officials, academicians, civil society representatives, human rights defenders, NHRC officers, representatives from international institutions working for the protection of human rights and subject experts.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Times of India, Delhi, 06/08/2026

Page No: 4, Size: 17.91cm × 20.27cm

Child sexual abuse material on Insta: Police chief summoned

Ambika.Pandit@timesofindia.com

New Delhi: National Human Rights Commission has issued summons to Delhi police commissioner to appear before it taking a serious view of a lack of response to its notice and later a reminder directing an investigation into allegations of paid advertisements on Instagram (owned by Meta) promoting child sexual abuse material (CSAM). The NHRC had sought an action taken report within 15 days but is still awaiting a reply.

NHRC's bench presided over by member Priyank Kanoongo in the summons issued Wednesday has directed the police chief Anurag Kumar to appear in person before the commission on Sept 7 along with the reports and explanation for non-compliance. However, summons state that if the ATR is submitted by Aug 31, the personal appearance will not be required.

The commission in its July 8 notice had asked Kumar to hold an inquiry as to whether "mandatory reporting" provisions under Protection of Children from Sexual Offences Act have been invoked by Meta to inform the police in time and if any FIRs have been lodged after reports of CSAM on its platforms came to light.

Taking cognisance of media reports published by the BBC World Service, Kanoongo said that since the concerned office of the BBC in India is situated in Delhi, the Commission thought it to be appropriate to entrust matter to Delhi Police for investigation.

In another notice dated Aug 3 addressed to secretary of the ministry of electronics and information technology and Meta's director responsible for south Asia, the commission has highlighted that as per the complaint received from a non-profit organisation, it is stated that the complainant foundation received an anonymous complaint alleging the availability of certain online links on Meta platforms that are pornographic in nature, age-inappropriate for children and may potentially contain CSAM.

Kanoongo has asked secretary MeitY and head of law enforcement of Meta Platforms to inquire into the allegations.

Deshbandhu, Delhi, 06/08/2026
Page No: 2, Size: 42.12cm × 14.16cm

सख्ती | इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक विज्ञापनों के मामले में एनएचआरसी सख्त

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा समन

नई दिल्ली, 5 अगस्त (एजेंसियां)। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले में लापरवाही बरतने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। आयोग ने बुधवार को समन जारी कर उन्हें 7 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया। यह मामला बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की एक रिपोर्ट से जुड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर 'रेप वीडियो' और 'चाइल्ड वीडियो' जैसे शब्दों वाले पेड विज्ञापन दिखाए जा रहे थे।

इन विज्ञापनों पर क्लिक करने पर यूजर्स को टेलीग्राम के चैनलों पर भेजा जा रहा था, जहां चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल (सीएसएएम) बेचा जा रहा था। एनएचआरसी ने इस खबर को खुद संज्ञान में लिया था। आयोग ने 8 जुलाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी। 15 दिन बाद भी जब रिपोर्ट नहीं आई तो एनएचआरसी ने 29 जुलाई को रिमाइंडर भेजा और 7 दिन का और समय दिया। चेतावनी भी दी कि अगर रिपोर्ट नहीं आई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन तय समय में भी रिपोर्ट नहीं पहुंची। इसके बाद

■ बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की एक रिपोर्ट से जुड़ा है मामला

बुधवार को एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की बेंच ने इसे 'बहुत गंभीर' मानते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कमिश्नर 7 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में रिपोर्ट और देरी की वजह के साथ पेश हों। हालांकि आयोग ने यह भी कहा कि अगर 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेज दी जाती है तो व्यक्तिगत पेशी की जरूरत नहीं होगी। समन में चेतावनी दी गई है कि अगर बिना वजह आदेश का पालन नहीं हुआ तो सीपीसी के नियम 16 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एनएचआरसी ने कहा कि अगर ये आरोप सच हैं तो यह बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण, सीएसएएम के प्रचार और बिक्री और संगठित अपराध का मामला है। इससे सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा के सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं। आयोग ने कहा कि इस मामले की जांच पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एनएचआरसी ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे पेक्सो से जुड़े अपराधों की जानकारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस और एनसीएमईसी को तुरंत दें। एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जल्द जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें डिजिटल सबूत सुरक्षित रखना, पीड़ित बच्चों और आरोपियों की पहचान करना, मेटा और अन्य कंपनियों द्वारा पोक्सो की धारा 19 और 20 के तहत रिपोर्टिंग की जानकारी, जरूरी जगहों पर एफआईआर दर्ज करना, विज्ञापनों के पीछे के लेन-देन ट्रेस करना और पीड़ित बच्चों को बचाने एवं मदद के कदम शामिल हों। आयोग ने यह भी कहा कि पुलिस जांच करे कि मेटा और उसके जिम्मेदार अधिकारियों ने रिपोर्टिंग की अनिवार्य जिम्मेदारी निभाई या नहीं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Punjab Kesari, Delhi, 06/08/2026

Page No: 2, Size: 7.49cm × 12.41cm

इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक विज्ञापन मामले में एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा समन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले में लापरवाही बरतने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। एनएचआरसी ने बुधवार को समन जारी कर दिल्ली पुलिस सीपी को 7 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला एक विदेशी न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट से जुड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर 'रेप वीडियो' और 'चाइल्ड वीडियो' जैसे शब्दों वाले पेड विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। इन विज्ञापनों पर क्लिक करने पर यूजर्स को टेलीग्राम के चैनलों पर भेजा जा रहा था, जहां चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल (सीएसएएम) बेचा जा रहा था। एनएचआरसी ने इस खबर को खुद संज्ञान में लिया था। एनएचआरसी की सदस्य प्रियांक कानूनगो की बेंच ने बुधवार को पूर्व के नोटिस और एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर इसे 'बहुत गंभीर' मानते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कमिश्नर 7 सितंबर को रिपोर्ट और देरी की वजह के साथ स्वयं पेश हों।

छह दिन में दरिंदगी व हत्या करने वाले सिपाही के खिलाफ चार्जशीट

सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य और गवाहों के बयान को बनाया आधार

i UPDATE

डीएनए व अन्य जांच रिपोर्ट मिलने पर कोतवाली पुलिस दाखिल करेगी पूरक चार्जशीट

gorakhpur@inext.co.in

GORAKHPUR (5 Aug): सदर अस्पताल के सामने से 10 वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के छह दिन के भीतर बुधवार को न्यायालय में 187 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी. पुलिस का प्रयास है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द शुरू हो और आरोपित सिपाही अभिषेक यादव को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाई जा सके.

आरोप साबित करने का प्रयास

पुलिस ने आरोपपत्र तैयार करने में घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों से जुटाए गए सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की बहन का बयान, प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को शामिल किया है. विवेचना टीम ने घटना से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों को क्रमबद्ध तरीके से संकलित कर आरोपपत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया है.

दाखिल होगी पूरक चार्जशीट

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं. इनमें डीएनए, जैविक नमूनों तथा अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों की रिपोर्ट शामिल हैं. जैसे ही ये रिपोर्ट प्राप्त होंगी, उन्हें पूरक चार्जशीट के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला और अधिक सशक्त होगा. पुलिस का कहना है कि संवेदनशील मामले को देखते हुए प्रत्येक साक्ष्य का विधिक परीक्षण कराया गया है.

यह था मामला

जिला अस्पताल से 10 वर्षीय बच्ची को किडनैप कर पीआरवी में तैनात सिपाही चिउटहां पुल के पास स्थित श्मशान घाट ले गया. वहां टीनशेड में उसके साथ रेप किया. रेप के बाद अपनी पहचान उजागर होने के डर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव नदी में फेंक दिया. बच्ची के किडनैप होने की जानकारी होते ही पुलिस उच्चाधिकारी बुधवार रात में ही सक्रिय हो गए. बच्ची की बरामदगी के लिए रात में ही कई थानों की फोर्स को सक्रिय करने के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे. इस दौरान एक फुटेज में सिपाही बच्ची को बाइक से ले जाता दिखा और उसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया. आजमगढ़ निवासी परिवार की 10 वर्षीय बेटी 28 जुलाई की रात जिला अस्पताल में भर्ती बड़ी बहन को खाना देकर घर लौट रही थी. रात लगभग 9.40 बजे पीआरवी (डायल-112) में तैनात सिपाही अभिषेक यादव ने उसे बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाया और जिला अस्पताल से निकल गया. सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वह बक्शीपुर, घासीकटरा, इलाहीबाग, हरबर्ट बांध, बरगदवा और मोहरीपुर होते हुए करीब 12.5 किलोमीटर दूर चिउटहा पुल के नीचे स्थित श्मशान घाट के पास बने टिनशेड तक पहुंचा. पुलिस के अनुसार वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया और रात करीब 12.30 बजे उसे गला दबाकर मार डाला. शव रोहिनी नदी में फेंक दिया. गुरुवार सुबह 7:30 बजे घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर शव उतराता मिला. घटना के बाद आरोपित पुलिस लाइन स्थित अपने कमरे में जाकर सो गया था.

FILE PHOTO

अभियोजन की राय

आरोपपत्र तैयार करने के दौरान अभियोजन अधिकारियों से भी आवश्यक कानूनी राय ली गई, जिससे मुकदमे के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो. सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपित के विरुद्ध मजबूत आधार प्रस्तुत करते हैं. बुधवार को आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है. एसपी नगर निमिष पाटील ने बताया कि वैज्ञानिक जांच की शेष रिपोर्ट मिलने के बाद पूरक चार्जशीट भी न्यायालय में पेश की जाएगी. इस मामले में पुलिस का उद्देश्य केवल समयबद्ध आरोपपत्र दाखिल करना नहीं, बल्कि प्रभावी पैरवी के माध्यम से आरोपित को कठोर दंड दिलाना है.

BREAKING NEWS

सिटी की ब्रेकिंग न्यूज से रहें रियल टाइम अपडेट

जुड़िए हमारे वाट्सएप चैनल से

Scan करें यह QR code और follow करें हमारा चैनल.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Times of India, Chennai, 06/08/2026

Page No: 11, Size: 14.34cm × 9.87cm

NHRC summons Delhi police chief

New Delhi: The National Human Rights Commission has issued summons to the Delhi police commissioner to appear before it taking a serious view of a lack of response to its notice and later a reminder directing an investigation into allegations of paid advertisements on Instagram (owned by Meta) promoting child sexual abuse material (CSAM). The NHRC had sought an action taken report within 15 days but is still awaiting a reply, reports **Ambika Pandit**. The NHRC's bench presided over by member Priyank Kanoongo in the summons issued on Wednesday has directed the police chief Anurag Kumar to appear in person before the commission on September 7 along with the reports and explanation for non-compliance. However, summons state that if the ATR is submitted by August 31, the personal appearance will not be required.

Hitavada, Raipur, 06/08/2026
Page No: 8, Size: 38.47cm × 24.00cm

Kanker malaria deaths put State's response under NHRC scanner

- Commission seeks report from Chief Secretary within two weeks over five reported malaria deaths in Kanker
- Questions emerge over delay in medicated mosquito net procurement despite Rs 68-crore Central assistance

Staff Reporter
RAIPUR, Aug 5

MALARIA preparedness in Chhattisgarh has come under renewed scrutiny after the National Human Rights Commission (NHRC) took suo motu cognisance of reports of five malaria-related deaths in Kanker district within a span of 13 days, while fresh claims have surfaced regarding delays in preventive procurement despite the availability of Central funding.

The NHRC, in an order dated July 31, issued a notice to the Chief Secretary of Chhattisgarh, directing the State Government to submit a detailed report within two weeks. The Commission observed that, if the reported facts were found to be true, they could raise serious issues relating to the protection of human rights.

National Human Rights Commission (NHRC)

The Commission's action follows media reports concerning the death of an 11-year-old boy who was initially reported malaria-negative before later testing positive, by which time he had succumbed to the illness. According to the NHRC communication, the State Health Department subsequently launched a door-to-door malaria screening and awareness campaign in the affected areas.

Meanwhile, allegations have emerged that although the Central Government sanctioned Rs 68 crore around six weeks ago for procurement of medicated mosquito nets for malaria-endemic areas of Bastar, the procurement process has allegedly not commenced. It has further been claimed that the Directorate of Health Services is yet to accord procedural approval required to initiate the purchase.

It has also been alleged that all Bastar district collectors had earlier been authorised to procure medicated mosquito nets through Corporate Social Responsibility (CSR) funding, but the exercise could not materialise for reasons yet to be explained.

The developments come amid heightened public attention by main opposition Congress over malaria management in tribal districts.

Dainik Jagran, Meerut, 06/08/2026
Page No: 6, Size: 20.29cm × 31.14cm

नवजात की मौत पर बाल आयोग ने बिठाई जांच, डीएम से मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मेरठ : जंगेठी गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर उप्र बाल संरक्षण आयोग ने इलाज में लापरवाही के कारण नवजात की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए है। आयोग ने डीएम को प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने का कहा है। डीएम ने मामले की जांच सीएमओ को सौंपी है।

सरधना रोड स्थित गांव जंगेठी निवासी विपिन कुमार गांव में परचून की दुकान चलाते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, उप्र बाल संरक्षण आयोग, सीएमओ समेत विभिन्न स्थानों पर शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी सोनिया 9 माह की गर्भवती थी। 29 अप्रैल को वह चेकअप कराने कंकरखेड़ा की तुलसी कालोनी स्थित अस्पताल में ले गया था। वहां स्थिति सामान्य होने के बावजूद चिकित्सक ने गंभीर स्थिति बताते हुए जबरन प्रसव करा दिया। इसके बाद उनके नवजात

युवक ने पत्नी का जबरन प्रसव करने और नवजात के इलाज में लापरवाही का आरोप

शिशु का स्वास्थ्य भी खराब बताते हुए उनकी सहमति के बिना ही दिल्ली बाईपास स्थित एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में रैफर कर दिया। आरोप है कि वहां नवजात के इलाज में लापरवाही की गई। नौ दिन बाद भी हालत में सुधार न होने पर वे बच्चे को वहां से ले आए। इलाज के नाम पर उनसे 2.10 लाख रुपये लिए गए थे। नवजात की मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कमीशन के खेल में उनके परिवार के साथ यह किया गया। राज्य बाल संरक्षण आयोग की ओर से सदस्य सचिव प्रेम प्रकाश सिंह ने डीएम को मामले की जांच कराकर दोषियों पर एफआइआर दर्ज कराने तथा कार्रवाई कराकर आयोग को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। डीएम डा. वीके सिंह ने सीएमओ को मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Pioneer, Online News, 06/08/2026

Source: https://dailypioneer.com/news/slug-lite/mshrc-calls-pune-accused-parade-barbaric-orders-probe-into-police-conduct?year=2026

MSHRC calls Pune accused parade ‘Barbaric’, orders probe into police conduct

The Maharashtra State Human Rights Commission (MSHRC) has taken Suo-motu cognisance of the incident in which three murder accused were tied to the bonnet of a police vehicle and paraded through parts of Pune, describing the episode as "barbaric" and ordering a preliminary fact-finding inquiry.
In an order passed on August 3, a full bench headed by MSHRC Chairperson Justice A M Badar issued notices to the Maharashtra Chief Secretary, the Director General of Police, Pune Police Commissioner Amitesh Kumar, Deputy Commissioner of Police (Zone III) Milind Mohite, and Bharti Vidyapeeth police station Senior Inspector Mansingh Patil.
The commission observed that videos circulating on social media prima facie showed three accused being tied to the bonnet of a police vehicle and paraded on public roads after their arrest in a murder case.
Describing the incident as a "barbaric" act, the commission said it recalled the case of Farooq Ahmad Dar, who was tied to the bonnet of an Army vehicle in Jammu and Kashmir. It noted that the National Human Rights Commission (NHRC) had later directed the state to pay Rs 10 lakh as compensation in that case.
The MSHRC said the Pune Police appeared to have "imitated" that incident, adding that if the videos were found to be authentic, they would reflect a blatant disregard for constitutional safeguards and tarnish the image of Maharashtra.
According to the commission, media reports and video footage suggested that the accused were allegedly forced to walk on their knees, assaulted in public and later tied to the bonnet of a police vehicle, while bystanders were allowed to attack them in the presence of police personnel.
The commission also expressed concern over videos purportedly showing a police officer threatening children who had gathered at the scene, stating that such conduct could cause psychological trauma and was contrary to the provisions of the Juvenile Justice Act.
The order said the alleged actions amounted to public humiliation of suspects before any determination of guilt and appeared to violate constitutional protections, statutory safeguards governing arrests and the Supreme Court's guidelines on the treatment of arrested persons.
Referring to an earlier human rights matter involving the Pune Police, the commission observed that similar allegations had surfaced earlier this year and said the recurrence of such incidents raised prima facie concerns regarding the role of senior supervisory officers.
The MSHRC said the conduct of the Pune Police Commissioner and the Deputy Commissioner of Police warranted an inquiry into whether there was negligence in preventing human rights violations or abetment through failure to act.
The commission directed Datta Karale, Special Inspector General of Police of the MSHRC, to conduct a preliminary fact-finding inquiry with the assistance of Registrar Vijay Kedar and Superintendent of Police Viswas Pandhare.
The fact-finding committee visited Bharti Vidyapeeth police station on Wednesday to review the incident and record statements. It has been directed to submit its report to the commission within one week.

Source: http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/sc-panel-seeks-report-on-barnala-lathicharge/articleshow/132956167.cms

SC panel seeks report on Barnala lathicharge

Barnala: National Commission for Scheduled Castes chairperson Kishor Makwana has sought a report from the Barnala administration on the July 22 lathicharge on protesting sanitation workers.

Makwana, who visited the injured workers in Barnala on Wednesday, said he requested details on the number of police personnel and protesters involved, the medical assistance provided to the injured and an action taken report.

He also held a meeting with special DGP (human rights) Naresh Arora, DIG (Patiala Range) Mandeep Singh Sidhu, Barnala deputy commissioner Harpreet Singh and SSP Mohammad Sarfaraz Alam.

The National Human Rights Commission and the National Commission for Safai Karamcharis have already demanded reports on the incident that had led to the suspension of Barnala DSP Satvir Singh, transfer of Barnala City SHO inspector Lakhwinder Singh and a major political row.

Source:
https://www.newindianexpress.com/states/delhi/2026/Aug/05/delhi-high-court-holds-railways-liable-to-compensate-survivor-in-2012-train-gang-rape

Delhi High Court holds Railways liable to compensate survivor in 2012 train gang rape

The court ruled the assault was an "untoward incident" under the Railways Act and upheld the NHRC's recommendation for monetary relief to the survivor.

NEW DELHI: The Delhi High Court has upheld the direction of the National Human Rights Commission (NHRC) to the Indian Railways to pay `3 lakh compensation to a woman who was gang-raped inside a train in 2012, holding that the undertaking is duty-bound to ensure passengers' safety and remains liable even when the crime is committed by private individuals.

Justice Amit Bansal dismissed the Ministry of Railways' petition challenging the NHRC's recommendation. "The fact of the matter is that the victim was a bona fide passenger who had purchased a ticket for the journey and was travelling in the train when the said incident occurred. The Railways were obliged to provide a safe environment onboard the compartment of the train," the court said in its July 29 order.

The judge held gang rape, being a "violent attack", falls under the definition of an "untoward incident" under Section 123(c) of Railways Act.

"Since the unfortunate incident occurred inside a compartment of a train, the same would be covered under the definition of an 'untoward incident' as provided in Section 123(c) of the Railways Act, and the Railways would be liable to pay compensation," the order said.

The court said this responsibility would not be affected merely because the offence was committed by private individuals and not railway employees.

Justice Bansal also held that while the NHRC's directions are recommendatory in nature, they cannot be treated as mere opinions. The commission had "correctly exercised its jurisdiction in recommending immediate monetary relief to a victim of gross human rights violation", the court said. "The writ petition is devoid of merits and is accordingly dismissed," the judge said.

Source: https://www.thestatesman.com/india/instagram-ads-promoting-child-sexual-abuse-material-nhrc-summons-delhi-police-commissioner-over-delay-in-enquiry-1503624589.html

Instagram ads promoting child sexual abuse material: NHRC summons Delhi Police Commissioner over delay in enquiry

On July 8, the human rights body had issued a notice to the Delhi Police Commissioner under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, asking to submit an ATR within 15 days.

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued summons to the Delhi Police Commissioner for failing to submit the Action Taken Report (ATR) within the stipulated time in connection with allegations that paid advertisements displayed on Instagram promoted Child Sexual Abuse Material (CSAM) in the country and redirected social media users to various channels on Telegram where such content was said to be offered for sale.

This comes after a Bench, presided over by NHRC member Priyank Kanoongo, took suo motu cognisance of media reports alleging that advertisements carrying expressions such as “rape video” and “child video” were displayed on Instagram. Further, it was stated that these remained accessible despite being reported through the platform’s grievance mechanism.

On July 8, the human rights body had issued a notice to the Delhi Police Commissioner under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, asking to submit an ATR within 15 days. However, no report was filed within the required time.

Later on, the NHRC issued a reminder on July 29 and gave seven days more, while warning that coercive powers could be invoked.

Observing that the requisite report was still not received despite the reminder, the NHRC, after considering the matter on Wednesday, took a “very serious view” and then directed that summons be issued to the Delhi Police Commissioner, IANS reported.

The Delhi Police Commissioner has been asked to appear in person before the Commission at 11.30 a.m. at its office in Manav Adhikar Bhawan, New Delhi, on September 7. He is expected to carry the requisite report and an explanation for the delay in its submission.

However, it was clarified by the commission that the personal appearance would stand dispensed with if the report is sent on or before August 31.

“Take further notice that in case you fail to comply with this order without lawful excuse, you will be subject to the consequences of non-attendance laid down in Order 16 Rule 10 and Order 16 Rule 12 CPC,” the summons said.

Source: https://www.firstpost.com/india/nhrc-directs-police-in-six-states-to-register-fir-against-meta-over-alleged-pocso-violations-ws-e-14036107.html

NHRC directs 6 states to file FIR against Meta over alleged Pocso violations: Report

The NHRC has directed police in six states to register an FIR against Meta over alleged Pocso Act violations linked to child sexual abuse material on Instagram and Facebook
The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Directors General of Police (DGPs) of Bihar, Chandigarh, Haryana, West Bengal, Odisha and New Delhi to register an FIR against Meta Platforms for alleged offences under the Protection of Children from Sexual Offences (Pocso) Act, 2012m reported News18.

The Commission issued the notice after taking cognisance of alleged violations linked to Instagram and Facebook, where pornographic and age-inappropriate content that may potentially contain Child Sexual Abuse Material (CSAM) was found. The NHRC has instructed the concerned authorities to initiate an investigation into the alleged violations and take action in accordance with the law.
In its August 3 notice, the Commission, reportedly, took cognisance of a complaint filed by a non-profit foundation, which said it had received an anonymous tip-off about pornographic and age-inappropriate links on Instagram and Facebook that may contain CSAM.
The foundation attached a list of links solely for investigation and clarified that it had neither accessed, downloaded, viewed nor stored the material, stating that it had acted in compliance with the Pocso Act, 2012, and the IT Act, 2000.
The NHRC directed the Secretary of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the Director Generals of Police of West Bengal, Chandigarh, Haryana, Odisha and New Delhi, along with Meta's Head of Law Enforcement (India), to file detailed Action Taken Reports within one week.
Police authorities have been instructed to examine the URLs through their cyber crime units or Special Juvenile Police Units, register FIRs wherever cognisable offences are found, identify and prosecute those involved, coordinate with MeitY, Meta, I4C and NCRB, and immediately rescue any identified child victims for production before the Child Welfare Committee.
MeitY has been asked to report on the blocking of the URLs, action taken against the intermediary and long-term child safety measures. Meta has been directed to remove the content, preserve metadata and IP logs, report under Section 19 of the Pocso Act, and provide details of its preventive mechanisms.
Probe continues into BBC report on Instagram advertisements
The latest notice follows an earlier NHRC order issued on July 8, after the Commission took cognisance of BBC World Service reports alleging that paid Instagram advertisements promoted CSAM in India using expressions such as "rape video" and "child video", redirecting users to Telegram channels where the material was allegedly offered for sale.
According to the reports, the advertisements were approved through Meta's review mechanism and remained accessible despite being reported through the platform's grievance system until the BBC specifically brought them to the company's notice.
Following the NHRC's directions, Delhi Police Commissioner Anurag Kumar initiated a priority investigation and is ensuring the registration of an FIR against Meta for offences under the Pocso Act, 2012, and other applicable laws.
The Bench of the NHRC, headed by member Priyank Kanoongo, took cognisance of the matter under Section 12

of the Protection of Human Rights Act, 1993.

In its July notice, the Commission instructed the Delhi Commissioner of Police to conduct a comprehensive investigation, preserve electronic evidence, including advertisement records, metadata and financial trails, identify advertisers, perpetrators and any child victims, and examine whether Meta complied with its mandatory reporting obligations under Sections 19 and 20 of the Pocso Act.

The Commission also noted potential liability under Section 23(3) of the Act.

Referring to the Supreme Court's ruling in "Just Rights for Children Alliance & Another Vs S Harish & Others", the NHRC reiterated that intermediaries are required to report suspected Pocso offences to both NCMEC and the Special Juvenile Police Unit or local police.

Reminder issued as NHRC monitors compliance

On July 29, the NHRC issued a reminder to Delhi Police after it failed to submit the Action Taken Report within the prescribed 15 days, warning that non-compliance within a further seven days could result in the Commission invoking its coercive powers under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The Commission emphasised in both proceedings that every instance involving the creation or continued circulation of CSAM amounts to a continuing violation of a child's dignity, privacy and human rights, requiring urgent rescue, rehabilitation of victims and prosecution of those responsible.

NCPCR launches separate inquiry

Meanwhile, the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has decided to initiate a formal inquiry into allegations relating to "Child Sexual Exploitative and Abuse" material on Meta's platforms, government sources confirmed on Tuesday.

The decision follows Meta's response to a notice issued by the Commission on July 3, after it took suo motu cognisance of a BBC Eye report alleging that paid advertisements on Instagram promoted or facilitated access to such material.

The Commission had sought a detailed explanation from Meta Platforms Inc., which submitted its response within a week of receiving the notice.

Source: https://www.thehansindia.com/amp/tech/meta-row-parliamentary-panel-seeks-mark-zuckerberg-apology-in-3-days-1105501

Meta row: Parliamentary Panel seeks Mark Zuckerberg apology in 3 days

New Delhi: A Parliamentary Standing Committee on Wednesday took strong exception to the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook and has sought an apology from Meta CEO Mark Zuckerberg within three days.
According to a letter sent to the Secretary of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the committee viewed the removal of the Prime Minister’s speech very seriously.
The video, which featured PM Modi addressing students and Gen Z on examination-related controversies and the government’s crackdown on paper leaks, was reportedly unavailable on Facebook for around five to six hours.
The letter, signed by A. Jyothirmayi, Director in the Lok Sabha Secretariat, warned that the protection and immunity available to Zuckerberg could be reconsidered if an apology is not issued within the stipulated period.
“I am directed to refer to the meeting of Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology (2025-26) held on August 3, 2026 with representatives of Ministry of Home Affairs, Ministry of Electronics and Information Technology and Social and Digital Media Platforms - Snapchat, Google, X, Meta (Facebook, WhatsApp and Instagram), and YouTube on Social and Digital platforms and their regulation,” Jyothirmayi said.
“The removal of Prime Minister Narendra Modi's video addressing students and Gen Z regarding examination controversies and strict actions against paper leaks from Facebook for 5-6 hours viewed very seriously by the Committee,” Jyothirmayi stated.
The panel said the incident raised concerns over the handling of content involving the Prime Minister and called for accountability from the social media giant. It asked the government to take up the matter and ensure an appropriate response from Meta.
“During the deliberations, the Committee demanded an apology from Mark Zukerberg, Meta Chief on this issue,” she noted.
“If he fails to tender an unqualified apology within 3 days of receipt of this letter, the protection/immunity given under Section 79(3) of IT Act may be withdrawn and action taken against him as a Publisher,” Jyothirmayi mentioned.

Source: https://www.storyboard18.com/digital/nhrc-summons-delhi-police-chief-over-csam-ad-inquiry-delay-ws-l-106741.htm

NHRC summons Delhi Police Commissioner over delay in probe report in Meta CSAM ads case

NHRC summoned Delhi Police Commissioner for failing to submit an ATR on Instagram CSAM ads. The Commissioner must appear on Sept 7 or submit the report by Aug 31.

The National Human Rights Commission (NHRC) has summoned the Commissioner of Police, Delhi, to appear before it after the Delhi Police failed to submit an Action Taken Report (ATR) in connection with its inquiry into allegations that Instagram advertisements promoted Child Sexual Abuse Material (CSAM) in India.

In an order dated August 5, an NHRC Bench headed by Member Priyank Kanoongo took a “very serious view” of the delay and directed that summons be issued to the Delhi Police Commissioner.

The Commissioner has been asked to appear in person before the Commission on September 7 at 11.30 am at the NHRC headquarters in New Delhi, along with the requisite reports and an explanation for the non-submission of the ATR.

However, the Commission said the personal appearance would stand dispensed with if the Action Taken Report is submitted on or before August 31.

According to the summons, the NHRC had initially directed Delhi Police on July 8 to submit an Action Taken Report within 15 days. A reminder was subsequently issued on July 29 after no report was received. Finding that the directions had still not been complied with, the Commission escalated the matter by issuing summons.

The Commission warned that failure to comply with its directions without lawful excuse could attract consequences under Order 16 Rules 10 and 12 of the Code of Civil Procedure.

The NHRC had taken suo motu cognisance of media reports published by BBC World Service alleging that paid advertisements displayed on Instagram, owned and operated by Meta Platforms, promoted CSAM in India by using terms such as “rape video” and “child video”, and redirected users to Telegram channels where such material was allegedly being offered for sale.

The reports further alleged that the advertisements had passed Meta’s advertisement review process and remained accessible despite being reported through the platform’s grievance mechanism until the matter was specifically brought to the company’s notice by the BBC.

In its July 8 notice, the Commission observed that, if the allegations were found to be true, they disclosed a matter of exceptional gravity involving the online sexual exploitation of children, dissemination and monetisation of CSAM, possible facilitation of organised criminal activity through digital platforms, and serious concerns regarding intermediary due diligence, algorithmic moderation and child safety mechanisms.

The Commission also said the allegations raised concerns regarding compliance with the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, the Information Technology Act, 2000, the Digital Personal Data Protection Act, 2023, and other applicable laws governing online child safety.

Times of India, Online News, 06/08/2026

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/nhrc-summons-delhi-police-chief-after-failure-to-answer-summon-over-csam-content-on-instagram/amp_articleshow/132952615.cms

NHRC summons Delhi police chief after failure to answer summon over CSAM content on Instagram

NEW DELHI: The National Human Rights Commission has issued summons to the Delhi police commissioner to appear before it taking a serious view of a lack of response to its notice and later a reminder directing an investigation into allegations of paid advertisements on Instagram (owned by Meta) promoting child sexual abuse material (CSAM). The NHRC had sought an action taken report within 15 days but is still awaiting a reply.

The NHRC's bench presided over by member Priyank Kanoongo in the summons issued on Wednesday has directed the police chief Anurag Kumar to appear in person before the commission on September 7 along with the reports and explanation for non-compliance. However, summons state that if the ATR is submitted by August 31, the personal appearance will not be required.

The commission in its July 8 notice had asked the Delhi Police to hold an inquiry as to whether "mandatory reporting" provisions under Protection of Children from Sexual Offences Act have been invoked by Meta to inform the police in time and if any FIRs have been lodged after reports of CSAM on its platforms came to light.

Taking cognisance of media reports published by the BBC World Service, Kanoongo said in the notice that since the concerned office of the BBC in India is situated in Delhi, the Commission thought it to be appropriate to entrust the matter to Delhi Police for investigation.

In another notice dated Aug 3 addressed to secretary of the ministry of electronics and information technology and Meta's director responsible for south Asia, the commission has highlighted that as per the complaint received from a non-profit organisation, it is stated that the complainant foundation received an anonymous complaint alleging the availability of certain online links on Meta platforms (Instagram/Facebook) that are pornographic in nature, age-inappropriate for children and may potentially contain CSAM.

Kanoongo has asked secretary MeitY and head of law enforcement of Meta Platforms to inquire into the allegations contained in the complaint and to submit ATRs within one week from the date of receipt of the notice.

Kanoongo has asked secretary MeitY and head of law enforcement of Meta Platforms to inquire into the allegations contained in the complaint and to submit ATRs within one week from the date of receipt of the notice.

MeitY has been asked to submit details of action taken for immediate removal, blocking or disabling access to the URLs; action taken against the intermediary and whether any regulatory or penal proceedings have been initiated.

Meta has been asked for details of not just the action taken to remove the alleged content but steps taken to preserve all evidence including the details of the accounts responsible for uploading and transmitting CSAM.

The Commission has also sought details with the date and time of reporting content with CSAM to the police in compliance with the "mandatory reporting" provision of POCSO Act.

Source: https://www.millenniumpost.in/k-reers/nhrcs-online-short-term-internship-course-671110

NHRC’s online short-term internship course

The two-week Online Short-Term Internship Programme (OSTI) organised by the National Human Rights Commission (NHRC), India for university-level students started at Manav Adhikar Bhawan, New Delhi recently. 100 students from diverse academic backgrounds, selected from 2,036 applicants, are participating in the programme.

NHRC Chairperson, Justice V Ramasubramanian inaugurated the programme in the presence of Member, Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi; Secretary General, Piyush Goyal; Joint Secretaries, Samir Kumar, Saidingpuii Chhakchhuak and Director Satovisha Samajdar.

The programme will feature around 30 lectures on important human rights topics and involve 20 eminent guest speakers, including senior government officials, academicians, civil society representatives, human rights defenders, NHRC officers, representatives from international institutions working for the protection of human rights and subject experts.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Bhaskar, Online News, 06/08/2026

Source: https://www.bhaskar.com/local/bihar/darbhanga/benipur/news/pipra-human-rights-violation-bharat-das-death-case-investigation-138642107.html

भरत दास मौत मामले में कार्रवाई की मांग:मानवाधिकार संगठन ने जेजे एक्ट उल्लंघन पर जताई चिंता

नगर परिषद पिपड़ा में बुधवार को मानवाधिकार इमर्जेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन की जिला इकाई की बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नाबालिग भरत दास की मौत के मामले में किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की गई। एसोसिएशन ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की।

एसोसिएशन के प्रमंडलीय अध्यक्ष मनोहर कुमार झा ने बताया कि सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कटका पंचायत निवासी नाबालिग भरत दास सहित तीन नाबालिगों की पूर्व में एक पर्यवेक्षण गृह में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्र टीम ने डॉ. योगेश दूबे की निगरानी में इस मामले की निष्पक्ष जांच की।

जांच में पाया गया कि सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष वसन्त कुमार और अनुसंधानक पुलिसकर्मियों ने जेजे एक्ट की धारा 10 का उल्लंघन किया, जिसके कारण बालक भरत दास की जान चली गई। आयोग ने पर्यवेक्षण गृह के कर्मियों की उपेक्षा को भी मौत का एक कारण माना।

आयोग ने बिहार पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और विधिसम्मत कार्रवाई करने का आदेश दिया था। आयोग ने दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई की सूचना देने को कहा था, लेकिन आज तक इस पर कोई गतिविधि नहीं की गई है।

बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष उमाकांत यादव ने की, जबकि प्रशासनिक पदाधिकारी प्रमोद कुमार साहु ने संचालन किया। इस अवसर पर मानवाधिकार इमर्जेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन के राम भरोस ठाकुर, दिनेश प्रसाद, उमेश प्रसाद सिंह, राहुल कुमार और शशि कुमार सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

Source: https://www.amarujala.com/india-news/pune-police-bonnet-parade-murder-accused-mshrc-human-rights-notice-2026-08-05

हत्या के आरोपियों को बोनट पर बांधकर घुमाया: अब पुणे पुलिस

पुणे में हत्या के तीन आरोपियों को पुलिस वाहन के बोनट पर बांधकर घुमाने की घटना पर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन और पुलिस की बर्बर कार्रवाई बताते हुए राज्य सरकार व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जिसे एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपनी होगी।

महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हत्या के एक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को पुलिस वाहन के बोनट पर बांधकर शहर में घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस पूरी घटना को बर्बर, अमानवीय और कानून के शासन के खिलाफ बताते हुए राज्य सरकार और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एएम बादर ने कहा कि किसी भी आरोपी को अदालत से दोषी ठहराए जाने से पहले इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करना संविधान और मानवाधिकारों दोनों का उल्लंघन है। आयोग ने पूछा है कि क्या कानून लागू करने वाली एजेंसियां स्वयं कानून हाथ में ले सकती हैं?

आयोग ने अनुच्छेद 21 के उल्लंघन की बात कही

मानवाधिकार आयोग ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मिले जीवन और गरिमा के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। आयोग के अनुसार, आरोपियों को वाहन के बोनट पर बांधकर घुमाना और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भीड़ को हमला करने की छूट देने पर भी उठे सवाल

आयोग ने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि आरोपियों को केवल बोनट पर नहीं बांधा गया, बल्कि कथित तौर पर भीड़ को उन पर हमला करने की भी छूट दी गई। इसके अलावा, मौके पर मौजूद बच्चों को पुलिस द्वारा धमकाने के आरोपों पर भी आयोग ने गंभीर चिंता जताई। आयोग ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो यह बाल न्याय (जुवेनाइल जस्टिस) कानून की भावना के भी विपरीत है और बच्चों पर मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

कश्मीर की घटना का भी किया उल्लेख

आयोग ने अपने आदेश में कश्मीर की उस चर्चित घटना का भी जिक्र किया, जिसमें एक व्यक्ति को सेना की गाड़ी के बोनट पर बांधकर घुमाया गया था। आयोग ने कहा कि उस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुआवजा देने का निर्देश दिया था। वर्तमान घटना भी मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला प्रतीत होती है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस, जांच समिति गठित

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, डीसीपी (जोन-3) मिलिंद मोहिते और भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक मानसिंह पाटिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिरीक्षक दत्ता कराले की अध्यक्षता में फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच दल ने बुधवार को संबंधित पुलिस स्टेशन पहुंचकर अधिकारियों और अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला पुणे के भारती विद्यापीठ थाना क्षेत्र का है, जहां 17 वर्षीय एक युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी के बोनट पर बांधकर घटनास्थल और आसपास की सड़कों पर ले गई। वायरल वीडियो में आरोपियों को घुटनों के बल चलाया जाता और लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता दिखाई दिया। इसी मामले में अब आयोग ने कार्रवाई की है।

Source: https://www.prabhatkhabar.com/national/lakhisarai-train-physical-assault-high-court-orders-railways-to-3-lakh-compensation/amp

लखीसराय ट्रेन दुष्कर्म: हाई कोर्ट ने रेलवे को ठहराया जिम्मेदार, 3 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई महिला को 3 लाख रुपये मुआवजा देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के आदेश को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता.
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेल मंत्रालय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने NHRC के मुआवजे वाले आदेश को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित माहौल देना रेलवे की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने माना कि ट्रेन में हुआ सामूहिक दुष्कर्म एक गंभीर और अवांछित घटना है. इसलिए रेलवे पीड़िता को मुआवजा देने से बच नहीं सकता.
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि NHRC का मुआवजा देने का आदेश पूरी तरह सही और कानूनी है. इसमें कोई मनमानी या अवैधता नहीं है. उन्होंने कहा कि आयोग ने मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की शिकार महिला को तुरंत आर्थिक सहायता देने की सिफारिश करके अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया है.
पीड़िता वैध टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रही थी
29 जुलाई के अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता वैध टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रही थी. ऐसे में ट्रेन के अंदर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की जिम्मेदारी थी. इसलिए इस मामले में रेलवे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता.
अदालत ने कहा, ''चूंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ट्रेन के एक डिब्बे के भीतर हुई, इसलिए यह रेलवे अधिनियम की धारा 123(ग) के तहत 'अवांछित घटना' की परिभाषा में आएगी और रेलवे अधिनियम की धारा 124ए के तहत रेलवे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा.'' अदालत ने कहा, ''याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है.''
हाई कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि मामले के लंबित रहने के दौरान रेलवे की ओर से जमा कराई गई मुआवजा राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित पीड़िता को जारी की जाए. अगस्त 2012 में बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-पांच पर खड़ी एक यात्री ट्रेन के डिब्बे में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था.
पीड़िता के पिता ने की थी शिकायत
पीड़िता के पिता की शिकायत पर NHRC ने अप्रैल 2014 में रेलवे बोर्ड को महिला को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था. रेलवे ने यह कहते हुए फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की कि मुआवजा तय करने का अधिकार केवल रेलवे दावा अधिकरण के पास है. लेकिन NHRC ने यह दलील नहीं मानी और अपने मुआवजे वाले आदेश को बरकरार रखा.

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/hindi-nhrc-summons-delhi-police-commissioner-over-delay-in-inquiry-into-instagram-ads-promoting-child-sexual-abuse-material-20260805140904-1339756

इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक विज्ञापनों के मामले में एनएचआरसी सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा समन

इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले में लापरवाही बरतने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। आयोग ने बुधवार को समन जारी कर उन्हें 7 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया।

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले में लापरवाही बरतने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। आयोग ने बुधवार को समन जारी कर उन्हें 7 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया।

यह मामला बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की एक रिपोर्ट से जुड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर 'रेप वीडियो' और 'चाइल्ड वीडियो' जैसे शब्दों वाले पेड विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। इन विज्ञापनों पर क्लिक करने पर यूजर्स को टेलीग्राम के चैनलों पर भेजा जा रहा था, जहां चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल (सीएसएएम) बेचा जा रहा था।

एनएचआरसी ने इस खबर को खुद संज्ञान में लिया था। आयोग ने 8 जुलाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी।

15 दिन बाद भी जब रिपोर्ट नहीं आई तो एनएचआरसी ने 29 जुलाई को रिमाइंडर भेजा और 7 दिन का और समय दिया। चेतावनी भी दी कि अगर रिपोर्ट नहीं आई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।

लेकिन तय समय में भी रिपोर्ट नहीं पहुंची। इसके बाद बुधवार को एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की बेंच ने इसे 'बहुत गंभीर' मानते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि कमिश्नर 7 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में रिपोर्ट और देरी की वजह के साथ पेश हों। हालांकि आयोग ने यह भी कहा कि अगर 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेज दी जाती है तो व्यक्तिगत पेशी की जरूरत नहीं होगी।

समन में चेतावनी दी गई है कि अगर बिना वजह आदेश का पालन नहीं हुआ तो सीपीसी के नियम 16 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एनएचआरसी ने कहा कि अगर ये आरोप सच हैं तो यह बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण, सीएसएएम के प्रचार और बिक्री और संगठित अपराध का मामला है। इससे सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा के सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं।

आयोग ने कहा कि इस मामले की जांच पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एनएचआरसी ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे पेक्सो से जुड़े अपराधों की जानकारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस और एनसीएमईसी को तुरंत दें।

एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जल्द जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें डिजिटल सबूत सुरक्षित रखना, पीड़ित बच्चों और आरोपियों की पहचान करना, मेटा और अन्य कंपनियों द्वारा पोक्सो की धारा 19 और 20 के तहत रिपोर्टिंग की जानकारी, जरूरी जगहों पर एफआईआर दर्ज करना, विज्ञापनों के पीछे के लेन-देन ट्रेस करना और पीड़ित बच्चों को बचाने एवं मदद के कदम शामिल हों।

आयोग ने यह भी कहा कि पुलिस जांच करे कि मेटा और उसके जिम्मेदार अधिकारियों ने रिपोर्टिंग की अनिवार्य जिम्मेदारी निभाई या नहीं। अगर चूक मिली तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।

Source: https://hindi.latestly.com/technology/pm-modi-facebook-post-row-pressure-mounts-on-meta-in-india-apology-sought-from-mark-zuckerberg-over-the-removal-of-pm-modis-video-nhrc-also-tightens-the-screws-in-the-csam-case-2918278.html

PM Modi Facebook Post Row: भारत में मेटा पर बढ़ा दबाव, पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मार्क जुकरबर्ग से मांगी माफी; CSAM मामले में NHRC ने भी कसा शिकंजा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने भी मेटा के प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन की औपचारिक जांच करने का फैसला किया है. आयोग मेटा की ओर से दिए गए लिखित जवाब की समीक्षा के बाद यह जांच करेगा कि कंपनी ने भारतीय कानूनों के तहत बच्चों की सुरक्षा और रिपोर्टिंग संबंधी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन किया या नहीं.

PM Modi Facebook Post Row: सोशल मीडिया कंपनी मेटा भारत में दो बड़े मामलों को लेकर बढ़ते दबाव का सामना कर रही है. एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामले में संसदीय समिति ने कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. वहीं दूसरी ओर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM) से जुड़े आरोपों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और अन्य वैधानिक संस्थाओं ने जांच तेज कर दी है. PM Modi Facebook Post Row: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटाने पर बढ़ा विवाद, संसदीय समिति ने Meta CEO मार्क जुकरबर्ग से 3 दिन में मांगी व्यक्तिगत माफी

पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर 3 दिन का अल्टीमेटम

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा विवाद पर छात्रों को संबोधित करने वाला वीडियो फेसबुक से करीब 5-6 घंटे के लिए हटाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है. समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव को भेजे पत्र में मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग को तीन दिन के भीतर बिना शर्त (Unqualified) माफी मांगने का निर्देश दिया है. समिति ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3) के तहत मेटा को मिलने वाली 'सेफ हार्बर' सुरक्षा की समीक्षा करने की सिफारिश की जा सकती है.

क्या है सेफ हार्बर सुरक्षा?

आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा को यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीमित कानूनी सुरक्षा मिलती है. यदि यह सुरक्षा वापस ली जाती है, तो मेटा को तीसरे पक्ष द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए भी सीधे कानूनी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है.

3 अगस्त की बैठक के बाद जारी हुआ निर्देश

रिपोर्ट के अनुसार, 3 अगस्त को हुई संसदीय समिति की बैठक में MeitY, गृह मंत्रालय और मेटा, एक्स, गूगल, स्नैपचैट तथा यूट्यूब सहित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटाने की घटना को समिति ने "बेहद गंभीर" माना है.

CSAM मामले में NHRC ने तेज की जांच

इसी बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM) से जुड़े कथित मामलों की जांच भी तेज कर दी है. NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में आयोग ने MeitY, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा के पुलिस प्रमुखों तथा मेटा इंडिया के लॉ एन्फोर्समेंट प्रमुख को एक सप्ताह के भीतर Action Taken Report (ATR) दाखिल करने का निर्देश दिया है.

एफआईआर दर्ज करने और बच्चों की सुरक्षा के निर्देश

NHRC ने साइबर क्राइम यूनिट्स को निर्देश दिया है कि शिकायत में शामिल URL की जांच करें, जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करें, केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करें और प्रभावित बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) की मदद लें.

NCPCR भी करेगा औपचारिक जांच

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने भी मेटा के प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन की औपचारिक जांच करने का फैसला किया है. आयोग मेटा की ओर से दिए गए लिखित जवाब की समीक्षा के बाद यह जांच करेगा कि कंपनी ने भारतीय कानूनों के तहत बच्चों की सुरक्षा और रिपोर्टिंग संबंधी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन किया या नहीं.

Source: https://www.punjabkesari.in/national/news/meta-instagram-nhrc-delhi-police-priyank-kanoongo-csam-child-safety-2365414

BIG BREAKING: Instagram पर बच्चों से जुड़े कंटेंट मामले में Meta की मुश्किलें बढ़ी, NHRC ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली : मेटा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। NHRC की बेंच, जिसके प्रमुख सदस्य प्रियांक कानूनगो हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन भेजा है। यह समन इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट (CSEAM) की उपलब्धता के मामले में जांच रिपोर्ट न सौंपने के कारण भेजा गया है।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने दो दिन पहले एक नया नोटिस जारी किया और साथ ही BBC की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई पिछली जांच पर भी नज़र बनाए रखी है। 3 अगस्त के नोटिस में, कमीशन ने एक नॉन-प्रॉफिट फाउंडेशन की शिकायत पर संज्ञान लिया। इस फाउंडेशन को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोर्नोग्राफिक और उम्र के हिसाब से अनुपयुक्त लिंक के बारे में गुमनाम जानकारी मिली थी, जिनमें CSAM हो सकता था।
फाउंडेशन ने जांच के लिए लिंक की एक लिस्ट भी साथ लगाई और साफ़ किया कि POCSO एक्ट, 2012 और IT एक्ट, 2000 का पालन करते हुए उन्होंने उस कंटेंट को न तो एक्सेस किया, न डाउनलोड किया, न देखा और न ही स्टोर किया।
NHRC ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, हरियाणा, ओडिशा और नई दिल्ली के पुलिस महानिदेशकों (DGP) और मेटा के लॉ एनफोर्समेंट हेड (भारत) को निर्देश दिया कि वे एक हफ़्ते के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सौंपें।
ऊपर बताए गए राज्यों की पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे अपनी साइबर क्राइम यूनिट/स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के ज़रिए इन URL की जांच करें, संज्ञेय अपराध (cognisable offences) पाए जाने पर FIR दर्ज करें, इसमें शामिल लोगों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई करें, MeitY, मेटा, I4C और NCRB के साथ तालमेल बिठाएं और पहचान किए गए पीड़ित बच्चों को तुरंत बचाकर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सामने पेश करें।

Janta Se Rishta, Online News, 06/08/2026

Source: https://www.jantaserishta.com/news/nhrc-takes-a-strict-stance-on-cases-involving-child-related-obscene-material-issues-notices-to-the-ministry-meta-and-dgps-of-several-states-4818396

बच्चों से जुड़े अश्लील सामग्री के मामले में एनएचआरसी सख्त, कई राज्यों के डीजीपी समेत मंत्रालय और मेटा को नोटिस

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों से जुड़े अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट उपलब्ध होने के आरोपों का संज्ञान लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कई राज्यों की पुलिस और मेटा इंडिया को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीनों पक्षों से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट-एटीआर) मांगी है।
आयोग ने यह कार्रवाई एक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ ऐसे लिंक उपलब्ध हैं जो अश्लील प्रकृति के हैं, बच्चों के लिए अनुपयुक्त हैं और उनमें कथित तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (सीएसएएम) हो सकता है।
एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की पीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह बच्चों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और पॉक्सो अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य कानूनों के तहत दंडनीय अपराध बन सकता है।
आयोग ने नोटिस जारी कर निम्न पक्षों से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा इंडिया के लॉ एनफोर्समेंट प्रमुख शामिल हैं।
एनएचआरसी ने ओडिशा, हरियाणा, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, बिहार के डीजीपी को निर्देश दिया है कि शिकायत के साथ संलग्न यूआरएल और डिजिटल साक्ष्यों की तुरंत साइबर क्राइम यूनिट और विशेष किशोर पुलिस इकाई के माध्यम से जांच कराई जाए।
आयोग ने कहा कि यदि जांच में संज्ञेय अपराध के संकेत मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाए और कथित सामग्री के निर्माता, अपलोडर, प्रकाशक, प्रसारक या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
साथ ही यदि किसी बच्चे की पहचान पीड़ित के रूप में होती है तो उसे तत्काल बचाव, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास और अन्य कानूनी सहायता प्रदान की जाए। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा है कि कथित आपत्तिजनक यूआरएल को हटाने, ब्लॉक करने या उनकी पहुंच प्रतिबंधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
इसके अलावा मंत्रालय से यह भी पूछा गया है कि ऐसी सामग्री दोबारा अपलोड न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है और ऑनलाइन बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन से दीर्घकालिक कदम प्रस्तावित हैं।
मेटा इंडिया को निर्देश दिया गया है कि कथित सामग्री हटाने या उसकी पहुंच रोकने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी दे। साथ ही संबंधित खातों, मेटाडेटा, आईपी लॉग, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग ने मेटा से यह भी पूछा है कि यदि सामग्री में सीएसएएम पाया जाता है तो पॉक्सो कानून के तहत स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को इसकी सूचना देने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई। आयोग ने कहा कि सभी संबंधित पक्ष अपनी कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं।

Aaj Tak, Online News, 06/08/2026

Source: https://www.aajtak.in/amp/india/news/story/nhrc-summon-delhi-police-commissioner-over-instagram-children-sexual-content-ntc-acwi-rpti-2615838-2026-08-05

Instagram पर बाल यौन शोषण सामग्री केस में NHRC ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किया तलब

NHRC ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट की उपलब्धतता के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को तलब किया है.
प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की बेंच ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट के लिए आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है. BBC की एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जांच का ब्यौरा मांगा था.
यह मामला इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर हैं. ऐसे कटेंट इंस्टाग्राम पर बहुत देखे जाते हैं. ऐसे में इस कंटेटं की उपलब्धता को लेकर आयोग ने समन भेजा है. दरअसल, इस मामले पर आयोग ने दिल्ली पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी थी लेकिन दिल्ली पुलिस ने तय समय पर रिपोर्ट दी नहीं थी. इसी मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले का स्वतः संज्ञान BBC की एक रिपोर्ट के आधार पर लिया था. इस रिपोर्ट में इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट की उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई थी. आयोग अब इस मामले में जांच की प्रगति और पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानना चाहता है.
दरअसल, इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं. ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी थी लेकिन दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी. जिसके बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त को तलब किया है.

Source: https://ddnews.gov.in/nhrc-takes-a-tough-stance-on-the-objectionable-advertisement-case-on-instagram-summons-delhi-police-commissioner/

NHRC इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक विज्ञापन मामले में सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किया तलब

इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले में लापरवाही बरतने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। आयोग ने बुधवार को समन जारी कर उन्हें 7 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया।

यह मामला बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की एक रिपोर्ट से जुड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर 'रेप वीडियो' और 'चाइल्ड वीडियो' जैसे शब्दों वाले पेड विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। इन विज्ञापनों पर क्लिक करने पर यूजर्स को टेलीग्राम के चैनलों पर भेजा जा रहा था, जहां चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल (सीएसएएम) बेचा जा रहा था।

एनएचआरसी ने इस खबर को खुद संज्ञान में लिया था। आयोग ने 8 जुलाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी। 15 दिन बाद भी जब रिपोर्ट नहीं आई तो एनएचआरसी ने 29 जुलाई को रिमाइंडर भेजा और 7 दिन का और समय दिया। चेतावनी भी दी कि अगर रिपोर्ट नहीं आई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।

लेकिन तय समय में भी रिपोर्ट नहीं पहुंची। इसके बाद बुधवार को एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की बेंच ने इसे 'बहुत गंभीर' मानते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कमिश्नर 7 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में रिपोर्ट और देरी की वजह के साथ पेश हों। हालांकि आयोग ने यह भी कहा कि अगर 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेज दी जाती है तो व्यक्तिगत पेशी की जरूरत नहीं होगी। समन में चेतावनी दी गई है कि अगर बिना वजह आदेश का पालन नहीं हुआ तो सीपीसी के नियम 16 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एनएचआरसी ने कहा कि अगर ये आरोप सच हैं तो यह बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण, सीएसएएम के प्रचार और बिक्री और संगठित अपराध का मामला है। इससे सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा के सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं। आयोग ने कहा कि इस मामले की जांच पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एनएचआरसी ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे पेक्सो से जुड़े अपराधों की जानकारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस और एनसीएमईसी को तुरंत दें।

एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जल्द जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें डिजिटल सबूत सुरक्षित रखना, पीड़ित बच्चों और आरोपियों की पहचान करना, मेटा और अन्य कंपनियों द्वारा पोक्सो की धारा 19 और 20 के तहत रिपोर्टिंग की जानकारी, जरूरी जगहों पर एफआईआर दर्ज करना, विज्ञापनों के पीछे के लेन-देन ट्रेस करना और पीड़ित बच्चों को बचाने एवं मदद के कदम शामिल हों। आयोग ने यह भी कहा कि पुलिस जांच करे कि मेटा और उसके जिम्मेदार अधिकारियों ने रिपोर्टिंग की अनिवार्य जिम्मेदारी निभाई या नहीं। अगर चूक मिली तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।